न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–959 / 2016

बन्ना लाल पुत्र स्व0 श्री नानू राम जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी–करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर **अपीलान्ट**

बनाम

1. सुमिता देवी

2–सुनिता देवी

3–सुशीला देवी पुत्रियॉ फूलचन्द

4–श्रीमति गोकुल देवी पत्नि स्व0 फूलचन्द

5–श्रीमति प्रभाती देवी पत्नि स्व0 दौलतराम

समस्त जातियान जाट निवासीगण बाडतेला तन करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

6–प्रेम देवी पुत्री दौलतराम पत्नि श्री शंकर लाल

7–आंची देवी पुत्री श्री दौलतराम पत्नि श्री प्रभाती उर्फ कालू राम

समस्त जाति जाट निवासीगण गढभोपली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

8– सन्ती देवी पुत्री दौलतराम पत्नि श्री नन्दराम जाति जाट निवासी भामल्डा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

9– श्रीमति चावली देवी पुत्री दौलतराम पत्नि श्री भगवान सहाय

10– धर्मादेवी पुत्री दौलतराम पत्नि सागर मल

समस्त जाति जाट निवासीगण गोठतन मुन्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12– पटवारी हल्का करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

13– नायब तहसीलदार / उप पंजीयक उप तहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

14– उप पंजीयक अधिकारी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

15–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

...अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट

16– श्रीमति लाडा देवी पत्नि स्व0 नानू राम

17– बाबू लाल पुत्र श्री नानू राम

18–महिपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र श्री नानू राम

19– कमली देवी पुत्री नानू राम पत्नि सोहन लाल

20– सीवा देवी पुत्री पत्नि श्री भॅवर लाल

21– माली देवी पुत्री नानू राम पत्नि श्री अर्जुन लाल

समस्त जातियान जाट निवासीगण सीगदकला जिला जयपुर

22– मंजू देवी पुत्री नानू राम पत्नि श्री हरदेव जाति जाट निवासी–सीमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

तरतीबी / अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः

1– श्री अजीत सैनी अपीलान्ट की ओर से।

2– श्री हेमन्त सोगानी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 4 की ओर से ।

3– श्री विजेन्द्र सिंह रेस्पोडेन्ट सख्या 16 ता 21 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–08–03–2018

1– यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07–11–2016 पारित अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना–पत्र सख्या 169 / 14 पुर्न दर्ज 16 / 2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 634 / 3 बीघा 2 बिस्वा 636 / 2 बीघा 1 बिस्वा, 638 / 1 बीघा 3 बिस्वा 639 / 9 बिस्वा गैर मु0 चाह 632 / 6 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी प्रार्थी के पिता तरतीबी अप्रार्थी सख्या 16 के पति एवं तरतीबी अप्रार्थी सख्या 12 लगायत 22 के पिता मृतक नानू पुत्र सुक्ला जाति जाट के नाम दर्ज रही है।नकल जमाबंदी सख्या 2032 से 2035 खसरा नम्बर 195 संलग्न पेश है।इस प्रकार उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार नानू था।बिना किसी बाधा के भूमि मुतनाजा पर काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।उसकी मृत्यु के पश्चत प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे है वर्तमान में भी काबिज है।उक्त साबिका आराजी के हाल सेटलमेंट कार्यवाही में हाल खसरा नम्बर 1900 / 0.79, 1902 / 0.88, 1904 / 0.78, 1907 / 0.51, 1908 / 0.13, 1909 / 0.21 कुल किता 6 कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर निर्धारित किये है।साबिक खसरा नम्बर 631 / 6 बीघा 18 बिस्वा ग्राम करीरी हाल खसरा नम्बर 1905 / 1.77 हैक्टेयर ग्राम करीरी निर्धारित किये है। जिसके 2 / 3 भाग नानू खातेदार काश्तकार था। साबिक खसरा नम्बर 631 के हाल खसरा नम्बर 1905 के 2 / 3 भाग से अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 10 या उनके पूर्वज दौला पुत्र चेता का कभी कोई संबंध

अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थना–पत्र की खण्ड सख्या 4 में वर्णित संपूर्ण खण्ड सख्या 5 में वर्णित भूमि के 1/2 भाग पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण सख्या 16 लगायत 22 का अपने पिता व पति के समय से ही कब्जा चला आ रहा है एवं खातेदार काश्तकार रहे। अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 3 का दादा 4 का ससुर था 5 लगायत 10 का पिता मृतक दौलतराम प्रार्थी के पति नानू राम का सगा भाई था, जो प्रार्थी के पिता नानू राम के ताउ चेतराम के यहॉ शुरू से ही गोद चला गया था एवं चेताराम की सम्पत्ति पर काबिज रहकर काश्त करता रहा था। मृतक दौला राम व उसके वारिसान अप्रार्थीगण का प्रार्थी व प्रार्थी के पिता नानू की सम्पत्ति में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध या अधिकार नहीं था, ना ही वर्तमान में है।उपरोक्त कार्यवाही हाल सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान की गई है, जो गलत है।अप्रार्थीगण की अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशि के रूप में संभव नहीं हो सकती पक्षकारान के मुकदमें बाजी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ–पत्र से प्रार्थी का पक्ष प्रथम दृष्टया में बलवान है एवं सुविधा का सन्तुलन व अकथनीय हानि का बिन्दु प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद बाबत फरमाया जावे कि हाल खसरा नम्बर 1900,1902, 1904, 19.7, 1908,1909, कुल किता 6 कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर संपूर्ण खसरा नमबर 1905/1.77 के 2/3 भाग वाके ग्राम करीरी तहसील शाहपुर जिला जयपुर पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की शांति पूर्वक काबिज रहर कर उसका बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से काश्त, उपयोग उपभोग करने देवे, भूमि मुतनाजा या इसके किसी भू–भाग को किसी प्रकार से रहन, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही हस्तान्तरण डीड पंजीकरण करावे, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–11–2016 द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07–11–2016 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजात एवं प्रचलित कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2016 स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।दौला राम अपने ताउ चेता राम के दत्तक जाने के कारण उसका अपने प्राकृतिक पिता सुख्या की सम्पत्ति में कोई अधिकार व हित शेष नहीं रहा तथा इस स्वीकृत तथ्य को नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने दौलाराम के वारिसान अप्रार्थीगण विपक्षीगण सख्या 1 लगायत 10 को सुख्या की सम्पत्ति का अधिकारी मानने की भारी विधिक भूल की है इस आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांक 07–11–2016 निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी आधार के प्रश्नगत कृषि भूमि को

अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की पैतृक भूमि मानते हुए आदेश दिनांक 07–11–2016 पारित किया,जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।स्वीकृत रूप से अप्रार्थीगण/विपक्षीगण का प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के तथा पक्षकारान के साक्ष्य दिये जाने के पूर्व ही अप्रार्थीगण/विपक्षीगण का कब्जा प्रश्नगत कृषि भूमि पर माना गया है, जो कि तथ्यों एवं अभिलेख के विपरीत होने के कारण आक्षेपित आदेश दिनांक 07–11–2016 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना अपना कब्जा होने का कथन किया है, ऐसी सूरत में दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात की कब्जे का प्रश्न निर्धारित/निर्णित किया जा सकता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान की साक्ष्य रिकार्ड पर आये कब्जा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण का मानते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 7–11–2016 पारित किया।प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी तथा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण के स्वामित्व एवं कब्जे के संबंध में विचारणीय बिन्दु निहित था,जिसका निर्णय दावे में विचारण के जरिये ही किया जा सकता था,परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विचारण पूर्व फौरी तौर पर विचारणीय बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष के निर्णित कर आदेश दिनांक 07–11–2016 पारित कर दिया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि दोनों पक्षों के विरोधाभासी कथनों की स्थिति में प्रश्नगत भूमि को मूल वाद के निस्तारण तक बचाये रखे जाने के उद्वेश्य से पक्षकारान को वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं उचित है,परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति के खुर्द–बुर्द होने की संभावना है।अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन को अपने मनमाने ढंग से विवेचित कियाहै, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर कतई गौर नहीं किया कि यदि अप्रार्थीगण/विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी/अपीलार्थी के कब्जे काश्त में बाधा डालकर भूमि को खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थी/अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा जिसकी भरमाई दृव्य में किया जाना संभव नहीं होगा। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2016 अन्तर्गत प्रकरण सख्या 169/14 पुर्न दर्ज 16/2016 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा स्वीकार किया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के पिता नानू पुत्र सुखला की खातेदारी की भूमि रही है जिसे प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से

अप्रार्थीगण के पूर्वज दौला राम के नाम दर्ज कर दी गई तथा दोला राम की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो कि प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं तरतीबी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है दौला राम अपने ताउ चेता राम के गोद चला गया था तथा चेता राम की सम्पतित पर उसकी मृत्यु उपरान्त काबिजि काश्त है तथा दौला राम का अपने प्राकृतिक पिता सुख्ला की भूमि में कोई हक एवं अधिकार शेष नहीं रह गये है। वादग्रस्त भूमि दौला राम की पैतृक भूमि नहीं है। चूंकि प्रार्थी/वादी द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षैत्र के बाहर जाकर जो प्रविष्टि की गई है उसको चुनौती दी जाकर इन्द्राज दुरूस्ती का दावा किया गया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मात्र इस आधार पर जारी किया गया है कि वादग्रस्त के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्ताकर है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई साक्ष्य सबूत के आधार पर वादग्रस्त भूमि को पैतृक मानते हुए तथा अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त मानते हुए प्रथमदृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में माना है जो कि आधार विहीन है।वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पूर्वज नानू की खातेदारी में भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व होना दस्तावेजी साक्ष्यों राजस्व रिकार्ड से साबित है।भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है यह सुस्थापित विधि का सिद्धान्त है।इससे प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है न कि अप्रार्थीगण के पक्ष में।वादग्रस्त भूमि के मालिकाना हक पर विवाद होने की स्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार को भी पाबंद किया जा सकता है।वादग्रस्त सम्पत्ति को ताफैसला वाद संरक्षित रखे जाने का दायित्व न्यायालय का है।अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन करते हुए अपील स्वीकार करने एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2001 (2) 1243, आर आर टी 2013 (2) 118,आरआरटी 2015 (2) 1214 प्रस्तुत किये गये है।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विवेचन उपरान्त पारित किया गया है वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना स्वीकृत तथ्य है जिस पर वारिसान होने के नाते अप्रार्थीगण के पूर्वज दौला राम का जन्म से अधिकार निहित है पूर्व में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज नानू के हक में दर्ज कर दी गई थी जिसे दौराने भू–प्रबन्ध नानू राम की सहमति के आधार पर दौला राम के हक में भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।वादग्रस्त भूहिम के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का अवलोकन एवं विवेचन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन आदेश का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में उनके पूर्वज पिता व पति नानू की अकेले की खातेदारी भूमि थी तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षैत्राधिकारिता बाहर जाकर उक्त भूमि की खातेदारी में अप्रार्थीगण के पूर्वज दौला राम का नाम भी शामिल कर दिया गया।प्रार्थी का यह भी कथन है कि दौलाराम उनके पूर्वज नानू राम का सगा भाई था परन्तु वह अपने ताउ चेताराम के गोद चले जाने से उसका अपने प्राकृतिक पिता सुख्ला की सम्पत्ति में कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका ही कब्जा काश्त है तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी में किया गया परिवर्तन शून्य प्रभावी है।यह कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा दौला राम का सुख्ला का पुत्र होने के नाते भूमि में जन्म से ही अधिकार है तथा पूर्व में भूमि अकेले नानू के नाम दर्ज हो जाने से भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नानू की सहमति से वादग्रस्त भूमि में दौलाराम का नाम दर्ज किया गया है तथा अप्रार्थीगण तब से रिकॉर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्तकार है अतः इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है कि ''वादीगण (प्रार्थीगण) को अपना वाद सिद्ध करने के लिये साक्ष्य एवं दस्तावेजात की एक लम्बी यात्रा से गुजरना होगा उसके बाद ही वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का हक हिस्सा होने या नहीं होने का निर्णय होना है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण सख्या 01 लगायत 10 के पिता/पति का नाम राजस्व अभिलेख में अंकन है।इस प्रकार दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला अप्रार्थीगण सख्या 01 लगायत 10 के पक्ष में है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार है इसके लिये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है।प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं समझते है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि नानू व दौला दोनों सगे भाई है तथा नानू की सहमति से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा मिसल सख्या 531/84 में निर्णय दिनांक 19–09–1984 पारित कर दौला का 1/2 हिस्सा सुख्ला की विरासत में दर्ज किया गया है तथा विवादित भूमि पुश्तैनी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी मानते हुए तथा अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त मानते हुए प्रथमदृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में माना जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त विवेचन में प्रार्थी/वादी द्वारा किये गये अभिवचनों पर कोई विवेकपूर्ण विश्लेषण नहीं किया गया है। नानू एवं दौला के सगे भाई होने के आधार पर तथा भूमि को पैतृक भूमि माना जाकर एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई प्रविष्टि को सही मानते

हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि प्रार्थी/वादी द्वारा इन्हीं तथ्यों को चुनौती देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है जिनको बिना किसी साक्ष्य सबूत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है। प्रार्थी द्वारा दौला का नानू के जाईन्दा सगे भाई होने के कथन को स्वीकृत किया है परन्तु साथ ही उन्होंने दौला के चेता राम के गोद चले जाने तथा उसकी सम्पत्ति का उपभोग करने का कथन भी किया गया है इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2032–35 ग्राम करीरी के खाता सख्या 152 में दौलाराम पुत्र चेताहिस्सा 1/2 नानू पुत्र सुख्ला हिस्सा 1/2 जाति जाट अंकित है इसी प्रकार जमाबंदी आधार वर्ष ग्राम करीरी के खाता सख्या 240 में भी दौला पुत्र चेता 1/2, नानू राम पुत्र सुख्ला 1/2 कोम जाट अंकित किया हुआ है। इन प्रविष्टियों से प्रार्थी के इस कथन की प्रथमदृष्टया पुष्टि होती है कि दौला चेता राम के गोद गया हुआ है।इस स्थिति में यदि भूमि सुख्ला के नाम रही है तथा दौला उसका जाईन्दा पुत्र है तो भी पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर उसे सुख्ला की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वस्तुतः इस विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर साक्ष्य सबूतों के आधार पर नियमित वाद में संभव हो सकेगा।जहॉ तक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन किये जाने का प्रश्न है,इस हेतु भू–प्रबन्ध विभाग सक्षम नहीं है जो कि सुस्थापित विधिक सिद्धान्त हैं।उपर्युक्त विवेचन से प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में हैं न कि अप्रार्थीगण के पक्ष में।प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को चुनौती दी गई है तथा जिनका निस्तारण नियमित वाद में संभव हो सकेगा,परन्तु यदि राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि को आगामी बैचान अथवा हस्तान्तरण किया जाता है तो वाद बहुलता बढेगी तथा प्रार्थी/वादी को अपूर्णीय क्षति होना संभावित होगी।चूंकि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के पिता के नाम काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के पश्चात लम्बी अवधि तक खातेदारी में दर्ज होना तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खातेदारी में परिवर्तन किया जाना स्वीकृत तथ्य है इसके आधार पर तथा प्रथमदृष्टया केस तथा अपूर्णीय क्षति के घटक प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।प्रार्थी द्वारा किये गये कथन तथा अप्रार्थीगण द्वारा दिये गये जवाब आदि पर गुणावगुण पर निर्णय साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जा सकेगा परन्तु प्रकरण में महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न निहित होने, वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखे जाने के उद्वेश्य से तथा उपर्युक्त विवेचन से प्रथमदृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

8– अतःअपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07– 11–2016 निरस्त किया जाता है।प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त

भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 08—03—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर